क्रम-संख्या-118

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 16 मई, 2018

बैशाख 26, शक सम्वत् 1940

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1076/79-वि-1–18-1(क)27-2017

लखनऊ, 16 मई, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने कर्मचारी प्रतिकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 9 मई, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

कर्मचारी प्रतिकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2018)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम कर्मचारी प्रतिकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 9 सन् 1923 की धारा 22 का संशोधन

2–कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, की धारा 22 में, उपधारा (1–क) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :–

"परन्तु यह कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा अथवा उसके आश्रित या आश्रितों द्वारा दुर्घटना घटित होने के दिनांक से नब्बे दिन की अवधि के भीतर आयुक्त के समक्ष कोई आवेदन नहीं किया जाता है तो इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन किसी कर्मचारी या उसके आश्रित या आश्रितों को प्रदत्त अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा आवेदन ऐसे कर्मचारी या उसके आश्रित या आश्रितों को संदत्त किये जाने हेतु प्रतिकर के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा।"

परन्तु यह और कि जहां आयुक्त के संज्ञान में यह आता है कि एक ही दुर्घटना से उद्भुत होने वाले प्रतिकर हेतु आवेदन कर्मचारी या उसके आश्रित या आश्रितों द्वारा और प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वहाँ आयुक्त दोनों आवेदनों को सम्मिलित करके उस पर ऐसे कर्मचारी या उसके आश्रित या आश्रितों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एकल आदेश द्वारा विनिश्चय करेगा।

उद्देश्य और कारण

नियोजक के साथ अपनी ड्यूटी के दौरान और अपने नियोजन के प्रक्रम के दौरान हुई क्षति या दुर्घटना के लिए कर्मचारियों को प्रतिकर प्रदान करने हेतु कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 अधिनियमित किया गया है।

उक्त अधिनियम के अधीन प्रतिकर के दावे किसी कर्मचारी या उसके आश्रितों द्वारा दाखिल किये जाते हैं और उक्त दावों की सुनवाई समस्त जिला मजिस्ट्रेटों और साथ ही साथ श्रम विभाग के अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त द्वारा की जाती है। आश्रितों की निरक्षरता तथा अज्ञानता के कारण ऐसी दुर्घटना के फलस्वरूप हुई मृत्यु और दिव्यांगता की स्थिति में उन्हें प्रतिकर का दावा प्रस्तुत करने में प्रायः कठिनाई सहनी पड़ती है।

ऐसे कर्मचारियों या उनके आश्रित या आश्रितों, जो दुर्घटना के दिनांक से निर्धारित अवधि के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हैं, को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम का, उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यह उपबंध करने के लिये संशोधन किया जाय कि उक्त कर्मचारीगण या उनका आश्रित या उनके आश्रित, ऐसे कर्मचारी या उसके आश्रित या आश्रितों को प्रतिकर संदाय किये जाने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के माध्यम से अपना दावा दाखिल कर सकते हैं।

तदनुसार कर्मचारी प्रतिकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 1076(2)/LXXIX-V–1–18-1(ka) 27-2017
Dated Lucknow, May 16, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Karmchari Pratikar (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 27 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on May 9, 2018.

THE EMPLOYEES' COMPENSATION (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2017

(U.P. Act no. 27 of 2018)

(As passed by the Uttar Pradesh Lesgislature)

AN

ACT

further to amend the Employees' Compensation Act, 1923 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY *enacted* in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Employees' Compensation (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2017.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 22 of Act no. 9 of 1923

2. In section 22 of the Employees' Compensation Act, 1923, in sub-section (1-A) the following provisos shall be *inserted* at the end, namely:–

"Provided that if an application is not made before the Commissioner by an employee or by dependant or dependants thereof within a period of ninty days from the date of the occurrence of the accident, then without prejudice to the right conferred to an employee or dependant or dependants thereof under this Act or the rules made thereunder, such application may be filed by an officer authorised by the State Government in this behalf for the purpose of compensation to be paid to such employee or dependant or dependants thereof:

Provided further that where it comes to the notice of the Commissioner that application for compensation arising out of same accident has been filed by both the employee or dependant or dependants thereof and by the Officer referred to in the first proviso, the Commissioner shall club both the applications and decide the same by single order without prejudice to the right of such employee or dependant or dependants thereof."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Employees Compensation Act, 1923 has been enacted to compensate the employees for injury or accident caused while on duty and during the course his employment with his employer.

Claims for compensation under the said Act are filed by any employee or his dependants and the claims are heard by all the District Magistrates as well as by the Additional/Deputy/Assistant Labour Commissioner of the Labour Department. Due to the illiteracy and ignorance of the dependants, they often suffer difficulty in submitting the claim of compensation in the event of death and disability caused by such accident and is often delayed.

In order to help such employees or dependant or dependants thereof as are not able to make a claim within the stipulated period from the date of the accident it has been decided to amend the said Act in its application to Uttar Pradesh to provide that the said, employees or dependant or dependants thereof may file their claim through an officer authorized by the State Government for the purpose of compensation to be paid to such employee or dependant or dependants thereof.

The Employees Compensation (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order,

VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 70 राजपत्र–(हिन्दी)–(174)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 9 सा0 विधायी–(175)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

70 Rph -2018_Data 6/E-Vidhaika 2017_Sansadiya Folder